न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	वाद पत्र संख्या 291/2022 GCMS NO. 2022/849 उनवानी सीताराम आदि बनाम अरविन्द कुमार आदि दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट 1955 व धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956	
06.11.2024	पत्रावली पेश हुई आवाज पर अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित आये। अधिवक्ता उभय पक्षकारान के निवेदन पर बहस अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। वादी ने हस्तगत वाद पत्र के जरिये मुख्य अनुतोष यह चाहा है कि वादी को ग्राम मण्डाना तहसील खेतड़ी स्थित भूमि खसरा नम्बर 112 रकबा 0.43 हेक्टेयर व खसरा नम्बर 122 रकबा 0.38 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.81 हेक्टेयर के 1/2 हिस्से की भूमि का खातेदार घोषित किया जावे व शेष 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण के हिस्से में दर्ज किया जावे तथा इसी अनुसार नामान्तरकरण दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करने का आदेश फरमाया जावे। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से पाया कि राजस्व ग्राम मण्डाना की नकल जमाबन्दी संवत 2012–2015 के खाता संख्या 88 के खसरा नम्बर 124 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा व खसरा नम्बर 130 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा के खातेदार विद्याधर पुत्र रामनाथ आदि दर्ज रिकार्ड है तथा कृषक के रूप में सुरजा पुत्र मांगु मिश्रा का नाम दर्ज है। नकल जमाबन्दी संवत 2015–2018 में धारा 19 आर.टी.एक्ट 1955 के तहत नामान्तरकरण संख्या 68 दिनांक 31.05.1961 के द्वारा उक्त दोनों खसरा नम्बरों की खातेदारी मूलचन्द पुत्र सूरजमल मिश्रा को दी गई है। खसरा मिलान क्षेत्रफल के अनुसार गत खसरा नम्बर 124 से हाल खसरा नम्बर 112 रकबा 0.43 हेक्टेयर व गत खसरा नम्बर 130 से हाल खसरा नम्बर 122 रकबा 0.38 हेक्टेयर निर्मित हुये है। वादग्रस्त भूमि वादी के पिता सूरजा उर्फ सूरजमल की पैतृक या खातेदारी भूमि नहीं रही है। उक्त भूमि के मूल खातेदार विद्याधर पुत्र रामनाथ आदि है। प्रतिवादीगण के हकपूर्वाधिकारी मूलचन्द पुत्र सूरजमल मिश्रा को उक्त भूमि धारा 19 के तहत प्राप्त हुई है। इसलिए वादी वादग्रस्त भूमि में खातेदारी हक प्राप्त करने का विधिक अधिकारी नहीं है। अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड के आधार पर वादी हस्तगत वाद के जरिये विधिक अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं पाया जाता है। लिहाजा –: आदेश :– अतः वादी का हस्तगत वाद पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। उक्तानुसार अपील पत्रावली [illegible] हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 06.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। (बंशी धर योगी) उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी	

Signature Not Verified

Digitally signed by Banshi Dhar Yogi
Date: 2024.12.09 17:09:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी
जिला- नीमकाथाना (राज.)

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी